

खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में कराना है अधिक से अधिक पूंजी निवेश

उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत स्थापित इकाइयों के थर्ड पार्टी निरीक्षण में तेजी लायी जाय

चालू वर्ष में 104 फूड प्रोसेसिंग के उद्यमियों को जारी किये गये लेटर आफ कम्फर्ट
लखनऊ : 08 जुलाई, 2025

उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने उ०प्र० खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के तहत स्थापित इकाइयों के थर्ड पार्टी निरीक्षण में तेजी लाने के निर्देश सभी सम्बन्धित को दिये हैं। उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति -2023 के तहत प्राप्त परियोजना प्रस्तावों पर समयबद्ध कार्यवाही करने, स्थापित इकाइयों के सब्सिडी आदि के प्रकरणों की समीक्षा करते रहने व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के क्रियान्वयन पर विशेष रूप से फोकस करने के निर्देश उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण आधारित उद्योगों के माध्यम से उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक पूंजी निवेश कराना है

उप मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसियों को आवंटित जनपदवार व खाद्य प्रसंस्करणवार अनुमोदित परियोजनाओं की सूची एवं लेटर आफ कम्फर्ट संलग्न कर प्रेषित किया गया है कि वह संबन्धित इकाई के प्रमोटर से तत्काल संपर्क कर स्थलीय सर्वेक्षण/सत्यापन का कार्य पूर्ण कराते हुए प्रदत्त प्रारूप अनुसार रिपोर्ट अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, लखनऊ को हार्ड कापी में उपलब्ध कराए ताकि अग्रिम आवश्यक कार्यवाही संपादित की जा सके।

योजनान्तर्गत निरीक्षण हेतु थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेंसी के रूप में चयनित विश्वविद्यालय, आई.सी.ए. आर. इन्स्टीट्यूट में अध्ययनरत छात्रों/विशेषज्ञों द्वारा स्थापित इकाई का निरीक्षण किया जाता है, साथ ही विश्वविद्यालय / इन्स्टीट्यूट में अध्ययनरत छात्रों को भी निरीक्षण के समय इस उद्देश्य से लाया जाता है कि उनके अन्दर उद्यमशीलता का भाव उत्पन्न हो सके तथा वह स्वयं को उद्यमी के रूप में स्थापित कर सकें।

थर्ड पार्टी के रूप में आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी अयोध्या को अयोध्या व देवी पाटन की 7 इकाइयों, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी को झांसी की 2 इकाइयों, एचबी टीआई कानपुर को कानपुर व चित्रकूट की 14, इकाइयों, सरदार वल्लभभाई पटेल यूनिवर्सिटी आफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी मेरठ को मेरठ अलीगढ़ व सहारनपुर की तीन इकाइयों इंडियन वेटेरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली को 11 इकाइयों, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ सबट्रापिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ को फ्रूट एंड वेजिटेबल बेस्ड प्रोसेसिंग की चार यूनिटों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी को गोरखपुर व बस्ती की छह यूनिटों, डिपार्टमेंट आफ फूड प्रोसेसिंग लखनऊ यूनिवर्सिटी को लखनऊ व सीतापुर की दो इकाइयों, सेंटर आफ फूड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूट आफ प्रोफेशनल स्टडीज यूनिवर्सिटी आफ इलाहाबाद को प्रयागराज व मिर्जापुर की पांच इकाइयों, नाबार्ड कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ को मुरादाबाद, आगरा और बरेली की 21 इकाइयों, आजमगढ़ यूनिवर्सिटी को आजमगढ़ को आजमगढ़ व वाराणसी 6 इकाइयों, एमिटी यूनिवर्सिटी लखनऊ को एक यूनिट, स्टेट इंस्टीट्यूट फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी को लखनऊ की एक यूनिट, रीजनल फूड रिसर्च एंड एनालिसिस सेंटर लखनऊ को लखनऊ की एक यूनिट, बी एच यू वाराणसी को वाराणसी की एक यूनिट, रुहेलखंड यूनिवर्सिटी बरेली को बरेली की 12 यूनिट्स, और आरबीएस कॉलेज आगरा को आगरा की 7 इकाइयों के स्थलीय सर्वेक्षण/सत्यापन की जिम्मेदारी सौंपी गयी है।

अपर मुख्य सचिव उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व रेशम विभाग श्री बी एल मीना ने बताया कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति— 2023 अंतर्गत राज्य स्तरीय इम्पावर्ड समिति द्वारा 104 प्रस्तावों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न संस्थाओं/विश्वविद्यालयों को थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेन्सी के रूप में नामित किया गया है। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ०प्र० को इस कार्य के प्रभावी अनुश्रवण के निर्देश दिये गये हैं। समस्त संबंधित इन्वेस्टर्स से भी अपेक्षा की गयी है, कि वह अपनी इकाई के सापेक्ष अंकित थर्ड पार्टी इन्स्पेक्शन एजेन्सी से तत्काल संपर्क कर स्थलीय सर्वेक्षण/सत्यापन का कार्य नियमानुसार पूर्ण करायें।

सम्पर्क सूत्र—बी०एल०यादव

वैशाली माथुर / 04:00 PM

फोन नम्बर Direct : 0522-2239023 ई०पी०बी०एक्स० : 0522-2239132,33,34,35 एक्सटेंशन : 223 224 225

फैक्स नं० : 0522-2237230 0522-2239586 ई-मेल : upschochna@gmail.com,

वेबसाइट : www.information.up.gov.in